

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 अप्रैल 2013—वैशाख 10, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. 2903-144-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१३

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, संक्षिप्त नाम, २०१३ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम,
क्रमांक २९ सन्
१९६७ का अस्थायी
रूप से संशोधित
किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है). धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम,
क्रमांक २९ सन्
१९६७ की धारा २
द्वारा यथास्थापित मूल
नियम (फण्डामेंटल
रूल्स) ५६ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) के नियम ५६ में,—

(एक) उपनियम (१) में, दो बार आने वाले कोष्ठक अंक, अक्षर और शब्द “(१-झ) एवं (१-ञ)” के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द “(१-झ), (१-ञ) एवं (१-ट)” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (१-ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(१-ट) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये “मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ के अनुसार, चिकित्सा बीमा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया कोई शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, और उसमें ऐसे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किये गये हों, और जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कम से कम बीस वर्ष तक सेवा की हो बशर्ते कि वे मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखते हों.”

भोपाल :

तारीख ३० अप्रैल, सन् २०१३

रामनरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. 2904-144-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) SANSHODHAN
ADHYADESH, 2013

[First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 30th April, 2013.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Sanshodhan Adhyadesh, 2013.

Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967 to be temporarily amended.

3. In Section 2 of the principal Act, in rule 56 of the Fundamental Rules,—

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by Section 2 of the Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967.

(i) in sub-rule (1), for the brackets, figures, letters and word “(1-i) and (1-j)” occurring twice, the brackets, figures, letters and word “(1-i), (1-j) and (1-k)” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1-j), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(1-k) Subject to the provisions of sub-rule (2) every member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical post mentioned in Schedule I to the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazette) Recruitment Rules, 1981 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical post mentioned in Schedule I to the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazette) Recruitment Rules, 1981 whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule “a member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted)” means a Government Servant by whatever designation called, appointed as Insurance Medical Officer or Specialist in accordance with the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazette) Recruitment Rules, 1981 and shall also include such Medical Officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise and who has served as Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazette).”.

Bhopal :

Dated the 30th April, 2013

RAMNARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.